

अति-आवश्यक

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23 (46) लेखा/निकाशि/विविध/2012-13/ 11

दिनांक: 20-12-12

नोडल अधिकारी/प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय,  
अलवर/अजमेर/उदयपुर

विषय:- 1-1-2013 से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम लागू करने के संबंध में ।


सन्दर्भ:- प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक: 18 (11) शिक्षा-4/ 2012 जयपुर, दिनांक: 20-12-2012

उपर्युक्त विषयान्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही छात्रवृत्ति/फेलोशिप योजना राशि 01-01-2013 से सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कराई जानी है । कृपया योजना के सही क्रियान्वयन के लिए आप अपने जिले में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।

- 1- लाभार्थियों में किन-किन के बैंक खाते खुले हुए हैं । किन किन के बैंक खाते नहीं खुले हुए हैं, की बैंक का नाम मय खाता संख्या सूची, यदि लाभार्थियों के बैंक खाते खुले हुए नहीं हैं तो उन्हें सात दिवस में अनिवार्य रूप से खुलवाने की व्यवस्था करावें ।
- 2- लाभार्थियों में किन-किन के आधार कार्ड बने हुए हैं, तथा किन-किन के आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, यदि आधार कार्ड बने हुए हैं, उनकी सूची, यदि आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं तो जिला कलेक्टर महोदय की सहायता से कैम्प आयोजित करवाकर उनके आधार कार्ड तत्काल बनवाने की व्यवस्था करावें ।
- 3- लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार कार्ड से सम्बद्ध कराने की व्यवस्था भी करावें ।
- 4- विभिन्न छात्रवृत्ति/फेलोशिप/शुल्क पुर्नभरण योजनाओं में लाभ प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की योजना अनुसार पृथक पृथक सूची ।

विषयान्तर्गत की गई कार्यवाही से संयुक्त निदेशक (आयोजना/छात्रवृत्ति) की मेल आईडी [jdplan.cce.rajasthan.gov.in](http://jdplan.cce.rajasthan.gov.in) पर तत्काल सूचित करावें जिससे राज्य सरकार को अवगत कराया जा सके ।


इसे प्राथमिकता प्रदान कर अविलम्ब दिनांक: 29-12-2012 सांयकाल 5.00 तक सूचित करें ।

  
(डॉ. सी. एम. खटीक)  
संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23 (46) लेखा/निकाशि/विविध/2012-13/ 12-14  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक: 20-12-12

- 1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- 3- श्री धीरेन्द्र देवर्षि, प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु ।

  
संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर